भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3285

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मणिपुर में फार्मेसी शिक्षा को सुदृढ़ करना

†3285. प्रोफ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मणिपुर में कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान नहीं है जिसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) पाठ्यक्रम है, जबकि मणिपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तक्येल में कई वर्षों से डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा) पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को मणिपुर सरकार से फार्मेसी हेतु सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करने अथवा मौजूदा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तक्येल को डिग्री स्तर के फार्मेसी संस्थान में उन्नत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्ताव की स्थिति तथा इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित या स्वीकृत किसी वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): वर्तमान में सरकारी पॉलिटेक्निक, तक्येल, मणिपुर फार्मेसी में डिप्लोमा (डी. फार्मा.) पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसे भारतीय भेषजी परिषद (पीसीआई) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए अनुमोदित किया गया है। तथापि, केंद्र सरकार को मणिपुर सरकार से न तो डिग्री-स्तर के फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सरकारी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना के लिए और न ही मौजूदा सरकारी पॉलिटेक्निक, तक्येल को डिग्री-स्तर के फार्मेसी संस्थान में उन्नत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
